

आदेश

पाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिकी
इस आशय की दी जाती है कि ग्राम कानगा की सरहद
में स्थित भूमि ख.नं. 36 रकबा 2.87 है, ख.नं. 1161/36
1191/36 किला - 2 कुम रकबा 0.12 है, ख.नं. 35 रकबा
1.51 है, ख.नं. 40, 41 किला 2 कुम रकबा 1.53 है
का बाकी एवं परिवर्तित के मध्य शकल दिनांक में
द्वय हिस्सा एवं कला अनुक्रम रास्ते का प्राधान्य
शकल द्वय विधिवत विभाजन किमे जाने का आदेश
दिया जाता है। तदनुसार तदानीं जदर उदमपुरवादी
उभय पक्षकारों की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव
तैयार करे तथा मध्य मकशा के दो प्रतिभों में च्यागाय
हाथ में प्रस्तुत करे। डिक्री पचा जारी हो।

पत्रावली केवल शुमार होकर नमबव से कम हो
तथा बाद तलमील दारिवेल दफतर हो।

क्रमांक 22.5.18 को कम्प कोर
कारण के कुरु सुकाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड (कानगा)